


राजस्व विविध प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/48
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम दलवीरसिंह
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26 $\frac{12}{22}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनाडिया तहसील बाली के खसरा नंबर 116/3 रकबा 0.02 हैक्टर तथा खसरा नंबर 117 1 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के संबंध में प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत मूल प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। जिससे मूल प्रकरण के अभाव में टी.आई. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्त आदेश के पश्चात् प्रकरण में दिनांक 20.01.2022 को पारित एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः समाप्त हो जावेगी तथा अप्रार्थी अपनी भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक जिलाधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)</p>	